

परिशिष्ट-5

राज्य शासन
विशिक्षा विभाग
भारत

44
22

अक्षा

मोबात, दिनांक 23 परवरी 1998

प्रश्न सं. 2-32/98/चउवन/विशिक्षा/राज्य शासन, मोबात, दिनांक 23 परवरी 1998
विभागाध्यक्ष, कुच रोड विभाग, मांडवी विहित महाविद्यालय, मोबात के विरुद्ध
पाना विरुद्ध पुलिस स्थापना, लोक आंदोलन, मोबात द्वारा अराधक प्रश्न सं 17/98
द्वारा 13 | 1 | की | 13 | | 2 | तथा अराधक प्रश्न सं 19/98 द्वारा 13 | 1 |
ई | 13 | | 2 | मद्रास 1988 के अंतर्गत परीक्षा अराधक प्रकरण में इन्हें
दिनांक 19 एवं 20 परवरी 98 की तदवराति [00-100] से पुलिस अभिरक्षा में
48 घण्टे को अतिरिक्त रखा जाने के कारण राज्य शासन अत्यंत शक्ति से या
[कर्मचारी विभाग तथा जीन] नियम 1966 के नियम 9 | 2 | | 1 | के अंतर्गत
हाकिमोरिया को लक्ष्य प्रभाव से निरर्थक करता है।

2- निरर्थक अवधि में डॉ० मनोरिया का मुख्यालय नेताजी सुभाषचंद्र बोस,
विशिक्षा महाविद्यालय, अजमेर रहेगा।

3- हाकिमोरिया को निरर्थक काल में निरर्थक जीवन निरर्थक करते ही
पात्रता रहेगी।

अत्यंत के राज्य शासन के नाम से तथा
आयोग द्वारा

दस्तावेज

[दिनांक]
अध्यक्ष
राज्य शासन
विशिक्षा विभाग

प्रश्न सं. 2-32/98/चउवन/विशिक्षा/राज्य शासन, दिनांक 23 परवरी 1998

पुनर्निर्देश:-

- 1- पुलिस को महाविद्यालय, विशिष्ट पुलिस स्थापना, लोक आंदोलन कायदा, मोबात
की ओर इनके वर प्रश्न सं 14/अ.प्र./17/98/विशिक्षा/98 दि. 23. 2. 98 तथा
प्रश्न सं 16/अ.प्र./19/98/विशिक्षा/98 दिनांक 23. 2. 98 के संदर्भ में सुनवाई
- 2- अक्षय, विशिष्ट शिक्षा, अजमेर, मोबात
- 3- श्री ए. अक्षय, विशिष्ट शिक्षा महाविद्यालय, मोबात/नेताजी सुभाषचंद्र बोस
विशिक्षा महाविद्यालय, अजमेर।
- 4- हाकिमोरिया को लक्ष्य प्रभाव से निरर्थक काल में निरर्थक जीवन निरर्थक करते ही
पात्रता रहेगी।

22. 298
[दिनांक]
अध्यक्ष
राज्य शासन

परिशिष्ट-को

4/11/98-302

①

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 07 अक्टू. 1998

क्रमांक एफ. 2-49/98/पचपन/वि०शि०स्क. ::

डॉ०पी०सी०मनोरिया, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, कार्डियोलाजी विभाग,
निलंबितरु मुख्यालय, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय,
जबलपुर द्वारा स्वेच्छक सेवानिवृत्ति हेतु दिश. नये नोटिस के संदर्भ में
राज्य शासन मध्यप्रदेश (स्वावल सेवा) (पैशन) नियम, 1976 के नियम
1-ए एवं पैशन के अधीन डॉ० पी०सी०मनोरिया, प्राध्यापक एवं
विभागाध्यक्ष, कार्डियोलाजी विभाग, निलंबितरु को दिनांक 27-04-98
अपरान्त से स्वेच्छक सेवा निवृत्ति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

डी०एस०पी०टर

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठ संकेत क्रमांक एफ. 2-49/98/पचपन/वि०शि०स्क. भोपाल, दिनांक 07 अक्टू. 98

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 95 एल. एल. दिनांक 28.3.98 के संदर्भ में सूचनाार्थ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर उनकी टीप दिनांक 7.4.98 के संदर्भ में सूचनाार्थ।

- 3- पुलिस उप महानिरीक्षक, बिरोडा पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 16/अप.क्र. 19/98 /बिपुस्था/98 दिनांक 23.2.98 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 505/स्था/राज/98 दिनांक 27.3.98 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 5- अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
- 6- अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर,
- 7- डॉ०पी०सी०मनेारिया, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग, निर्लंबित, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर।

डी०एस०पोटर

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

5/5/98
5/1/98